न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 104/2018

अनवान :

1. महेन्द्रसिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
4. गुलाबी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
5. विनोद पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
6. भतेरी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
7. कविता पुत्री कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
8. एसबीआई बैंक छानीबड़ी जरिये प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 23-5-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 231/215 के खसरा सं0 641 की 6.755 है0 व खसरा सं0 711/2 की 6.772 है0 कुल तादादी 13.527 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी कुरडाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि पहले वादी के दादा राजुराम की खातेदारी हुआ करती थी, राजुराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी कुरडाराम के नाम से दर्ज है, वह वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 से 7 को बहिस्साबराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हूई थी परन्तु विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी कुरडाराम ने महज अपने नाम केवल कर्ता खानदान होने के दर्ज करवा लिया। वादभूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण सं0 3 ता 7 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है जिस पर कुल वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 7 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 8 व 9 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में महेन्द्रसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 231/215 सम्वत् 2071-74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2019 की प्रदर्श 2 ता 9, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 10, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र 11 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि राजुराम की खातेदारी हुआ करती थी राजुराम के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी कुरडाराम के नाम से विरासतन दर्ज हुई है, जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2019 की प्रदर्श 2 ता 9 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा राजु वल्द सुखा के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 10 में कुरड़ाराम के वारिसान में पत्नी संतोष (फौत), पांच पुत्री सुमित्रा, गुलाबी, विनोद, भतेरी, कविता व दो पुत्र महेन्द्रसिंह, रमेश कुमार होना इनके अलावा अन्य वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 231/215 के खसरा सं0 641 की 6.755 है0 व खसरा सं0 711/2 की 6.772 है0 कुल तादादी 13.527 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी कुरडाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 7 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-5-18....... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 104/2018

अनवान :

1. महेन्द्रसिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
4. गुलाबी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
5. विनोद पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
6. भतेरी पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
7. कविता पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
8. एसबीआई बैंक छानीबड़ी जरिये प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां की उपस्थित में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 231/215 के खसरा सं0 641 की 6.755 है0 व खसरा सं0 711/2 की 6.772 है0 कुल तादादी 13.527 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी कुरडाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 7 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-5-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)

सहायक कलक्टर R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़